महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या–880/9–3–2022–15 W/19

प्रेषक,

अनिल कुमार ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक : 28 सितम्बर, 2022

विषयः–उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की विभिन्न विभागों पर लम्बित देयताओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–8/2370/318(2)/07ज0सं0/2021–22, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गत वर्ष अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 20–05–2021 में लिये गये निर्णय की भांति वर्तमान वर्ष में भी जल संस्थान झांसी को राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त हो रही धनराशि से 01.00 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को उपलब्ध कराये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संस्थान, झांसी को राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त हो रही धनराशि में से रूपये 1.00 करोड़ की धनराशि की प्रतिमाह कटौती, माह सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ कर उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को, अग्रेतर अन्य व्यवस्था होने या अन्य आदेश निर्गत किये जाने तक, निरन्तर उपलब्ध करायी जायेगी। तदनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि चूँकि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, अतः इस प्रकार होने वाली वृद्धि के सापेक्ष उक्त कटौती में भी वृद्धि पर सकारात्मक रूप से विचार कर अपनी आख्या शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

28/09/2022

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

3122/go

(2) विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन को इस आशय से कि चूँकि गत वर्ष राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से उक्त प्रयोजन हेतु हुई कटौती दिनांक 20–05–2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के प्रेषण सम्बन्धी पत्र के आधार पर ही की जाती रही, अतः मार्च, 2022 तक हुई उक्त कटौती पर एतद्द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि उक्त निर्णयानुसार प्रश्नगत कटौती आगामी समयावधि में तब तक निरन्तर की जायेगी जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था/आदेश निर्गत न कर दिए जाएं। साथ ही राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि के सापेक्ष प्रश्नगत कटौती में भी आनुपातिक वृद्धि हेतु विचारण के बारे में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश भिजवाने का कष्ट करें।

(3) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झाँसी।

(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव

3122/go